न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 103/21 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/112)

1. अनारी पत्नी स्व0 श्री चरनसिंह
2. सुशील उर्फ सुनील पुत्र श्री चरनसिंह

जाति जाट निवासी ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.............**अपीलान्ट**

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह
2. रमनसिंह
3. नैमसिंह
4. बच्चू

पुत्रगण भंवसिंह जातियान जाट निवासीयान ग्राम भौसिंगका तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. उर्मिला देवी पुत्री भंवरसिंह जाति जाट निवासी भौसिंगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. पुष्पेन्द्र पुत्र प्रभू
7. अतर
8. मेजर

(7, 8) पुत्रगण उम्मेदसिंह

(6–8) जातियान जाट निवासी मालाहेडा तहसील वैर जिला भरतपुर

.... **रैस्पोडेन्टस**

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 16.11.2021 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 813 वाकै ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर दिनांक 30.6.2016

उपस्थितिः

1. श्री उदयवीरसिंह कसाना वकील अपीलान्ट
2. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील रैस्पोडेन्ट

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 20.09.2022

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 राजस्व मण्डल अजमेर तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.05.2016 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 813 ग्राम ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई भरकर राजस्व लोक अदालत में तहसीलदार नदबई के समक्ष पेश किया जो दिनांक 30.6.2016 को स्वीकार किया गया। इस नामान्तकरण के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष 75 एल आर एक्ट के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन

20.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश दिनांक 16.11.2021 पारित करते हुये यह निर्णय दिया कि अपीलान्ट ने अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 813, नामान्तकरण संख्या 1053, जमाबन्दी सम्वत 2013, नामान्तकरण संख्या 771, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.03.2016 व निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 22.05.2001 व वसीयतनामा तथा नकल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी सम्वत 2037–40 व जमाबन्दी सम्वत 2039–42 तथा जमाबन्दी सम्वत 2033–2037 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नदबई के नामान्तकरण संख्या 813 के अवलोकन से यह सिद्ध है कि उक्त नामान्तकरण तहसीलदार नदबई द्वारा विवादित आराजी की बाबत् नामान्तकरण संख्या 813 दिनांक 30.06.2016 सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में ही स्वीकार किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटी होना नहीं पाया जाता है और अपील अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 से खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा वकील उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल फायल की गई।

वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। दोनों अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आराजी गत खसरा नम्बरान 318, 327, 338, 349, 582, 616, 655, 747, 824, 869, 875, 883, 884, 901, व 117 सम्पूर्ण खसरा नम्बरान 1116, 1117, 1166 व 1167 वाकै ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई स्थित है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 511, 702, 1030, 1031, 1040 किता–5 रकबा 20.12 वीघा पर चरनसिंह पुत्र अमरसिंह गैर मौरोसी के दर्ज है जो कि सम्वत 2012 में खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया तथा दिनांक 21.7.1961 को आयुक्त के आदेश से खातेदार घोषित हो गये। उक्त 5 खसरा नम्बरान पर चरनसिंह स्वतन्त्र रूप से खातेदार हुआ और उक्त अमरसिह जो चरनसिंह का पिता है उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा चरनसिंह की स्वयं पैदाकर्दा जायदाद हो गई। लेकिन तहसीलदार नदबई ने कैम्प पिपरऊ में सभी खसरा नम्बरान पर नामान्तरकरण संख्या 813 रम्मूली व सभी को खातेदार कर दिया, जबकि रम्मूली द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के यहां अपने 1/3 हिस्से का हक मांगा था। सभी ने आज तक कोई क्लेम नहीं किया है। इसप्रकार नामान्तकरण संख्या 813 काबिले मंसूखी है। नामान्तकरण संख्या 813 तस्दीक करते वक्त रम्मूली व रूमा का देहान्त हो गया था तथा मरे हुये व्यक्ति के नाम नामान्तकरण खोला जाना न्याय संगत नहीं होने से अवैध है। इस प्रकार अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर कुल किता–5 रकबा 2012 वीघा का गलत रूप से नामान्तकरण खोला गया है। नामान्तकरण में रैस्पो0 रम्मूली व रूमा व उसके वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः हर दो तहत अदालतों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा तहत अदालतों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अहम कानूनी भूल की है कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय दिनांक 16.03.2016 के निर्देशों की पालना में नामान्तकरण संख्या 813 खोला जाना चाहिए था जो कि नहीं खोला गया है। तहत अदालत ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलाधीन दोनों आदेशों को निरस्त किया जावे। लिखित बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा उल्लेख किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021 न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर एवं आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 30.06.2016 व सिलसिले नामान्तकरण संख्या 813 वाकै ग्राम पिपरऊ को निरस्त फरमाया जावे तथा सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट्स के नाम पूर्ववत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से भी प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट का यह कथन कि नामा0 सं0 813 राजस्व मण्डल के निर्णय के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त ड्रिकी व निर्णय के खिलाफ रिट माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर रखी थी इसलिए यह डिक्री अन्तिम नहीं मानी जा सकती है यह तर्क उचित नहीं है, इस संबंध में रैस्पोडेन्टस का यह तर्क है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की मां रम्मूली ने उक्त विवादित आराजी की बाबत दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष पेश किया जो रैस्पोडेन्ट की मां के हक में तथा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 22. 05.2001 को दावा डिक्री किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश हुई थी, वहां से निरस्त होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रैस्पोडेन्टस के पक्ष में दिनांक 16.03.2016 को डिक्री व निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार रैस्पोडेन्टस के पक्ष में राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक अन्तिम डिक्री व फैसला माना जावेगा। अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के डिक्री व निर्णय के खिलाफ रिट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 04.12.2007 को खारिज कर दी गई। उसके बाद अपीलान्ट ने पुनः अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर डी0बी0 में की गई जो दिनांक 20.02.2018 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सरासर गलत है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की माता न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई से राजस्व मण्डल तक असफल रही है जबकि वास्तविकता यह है कि सहायक कलक्टर नदबई से राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय तक वह जीती है। अपीलाधीन नामान्तकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में भरा जाकर स्वीकृत हुआ है जो विधिसम्मत है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उसको सुना नहीं गया है या परीक्षण न्यायालय ने कोई जांच नहीं की गई है चूंकि उक्त नामान्तकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 16.03.2016 के आधार पर खोला गया है। वर्ष 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प सभी जिलों में आयोजित किये गये थे जिसकी सूचना

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अखबारों में निकाली गई थी। उक्त दाखिल खारिज माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना में खोला गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण खोलने से पूर्व किसी प्रकार की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलान्ट का यह कथन कि उक्त दाखिल खारिज दिनांक 30.06.2016 को जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.03.2018 को पटवारी हल्का से प्राप्त हुई है गलत है क्योंकि अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत गांव पिपरऊ में स्वीकार किया गया । इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को उसी दिन से है परन्तु अपीलान्ट की ओर से अपील करीब दो वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी थी। अपील में इस देरी को क्षमा करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण भी अंकित नहीं किया था। जबकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है कि प्रत्येक दिन की देरीना का स्पष्ट विवरण देना होगा अन्यथा मियाद बिन्दु को क्षमा नहीं किया जावेगा। वकील रैस्पोडेन्ट ने लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलान्ट ने एक दीवानी दावा वर्ष 2016 में दावा न्यायालय श्रीमान डी0जे0 साहब भरतपुर में उक्त विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0 प्रथम द्वारा दिनांक 4.3.2021 को खारिज कर दिया गया है। अपीलान्टस ने उक्त तथ्य को छुपाते हुये यह अपील पेश की है। उक्त प्रकरण की वास्तविकता यह है कि नामान्तकरण संख्या 813 दिनांक 30.06.2016 सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में ही स्वीकार किया गया है तथा उक्त तथ्यों के आधार पर ही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। लिखित बहस के अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा उल्लेख किया गया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे एवं हर दो तहत अदालतों के निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण यथावत रखे जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है क्योंकि अपीलान्टस की ओर से विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में तहसीलदार नदबई की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 813 दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध जो अपील पेश की गयी थी, उसमें उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में सब्ज्यूडिस रहा है। अंतिम रूप से डिक्री हुये बिना पारित किया गया आदेश निरस्तनीय है। इसके अलावा अपील में अन्य तथ्य भी वर्णित किये गये हैं। विद्वान जिला कलक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में अपीलान्ट व रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजात तथा बहस में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021 में यह माना है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 813, 1053, 771 व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 व सहायक कलक्टर, नदबई की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.05.2001 व वसीयतनामा व नकल

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बंदोबस्त एवं जमाबन्दी संवत् 2037–40, जमाबन्दी संवत् 2039–42 तथा जमाबन्दी संवत् 2033–37 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार नदबई द्वारा विवादित आराजी के संबंध में नामान्तकरण संख्या 813 दिनांक 30.06.2016 सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होना मानकर अपील को खारिज किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में भी खसरा नम्बर 511, 702, 1030, 1031, 1040 किता 5 रकबा 20 बीघा 12 विस्वा पर चरनसिंह पुत्र अमरसिंह गैर मोरोसी के दर्ज होने व संवत् 2012 में खातेदार काश्तकार घोषित कर दिये जाने तथा दिनांक 21.07.1961 को आयुक्त के आदेश से खातेदार घोषित होने के कारण उक्त 5 खसरा नम्बरान पर चरनसिंह के स्वतंत्र रूप से खातेदार होने तथा अमरसिंह जो कि चरनसिंह का पिता है, उसका कोई संबंध नहीं होने से चरनसिंह की स्वयं पैदाकर्दा जायदाद होने का उल्लेख किया है, परन्तु अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है। वरन् अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021, नामान्तकरण संख्या 813 दिनांक 30.06.2016 तथा राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.03.16 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। नामा0 संख्या 813 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामा0 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा डिक्री इजराय मुकदमा नं0 7795–7796/2007 दिनांक 16.03.16 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.06.2016 को खोला गया है। इसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने व अंकन सही होने का उल्लेख उक्त नामा0 में किया गया है, जिसे राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) वर्ष 2016 कैम्प पीपरऊ में तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2016 के द्वारा अपीलान्ट रम्भूली की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में डिक्री दिनांक 14.08.2007 को निरस्त करते हुये खसरा नं0 824, 884 व 883 की विक्रय की गयी आराजी रकबा का वयनामा प्रतिवादी असल चरनसिंह के हिस्से से माना जाने बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2001 की पुष्टि की है। तहसीलदार नबदई द्वारा जो नामा0 संख्या 813 दिनांक 30.06.16 को स्वीकृत किया गया है, में उक्त खसरा नम्बरान का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट की ओर से सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 22.05.2001 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 14.0.08.2007 तथा राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 6741/2016, 7796/2016 तथा 7797/2016 तीन प्रथक–प्रथक प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें रिट संख्या 7796 व 7797 को अपीलान्ट की ओर से प्रत्यारित किये जाने के कारण आदेश दिनांक 18.07.2016 के द्वारा डिसमिस की गयी तथा रिट संख्या 6741/2016 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

04.12.2017 के द्वारा खारिज किया गया। अपीलान्ट की ओर से सिविल रिट पिटीशन नंबर 6741/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में डी. बी. सिविल स्पेशल अपील नंबर 2013/2017 प्रस्तुत की गयी। जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2018 के द्वारा निस्तारित किया गया। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर के न्यायालय में दीवानी दावा संख्या 66/2016 दिनांक 04.03.2021 को खारिज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध वर्तमान में इसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021 जिसके द्वारा नामा0 संख्या 813 जो कि राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.03.16 की पालना में खोले गये दिनांक 30.06.16 को तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 को यथावत रखे जाने का जो आदेश पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर